



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 370 वर्ष 2026

दया शंकर
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद जिला-इलाहाबाद
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : क्षत्रेश कुमार, रत्नेश मिश्रा
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. हमने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री क्षत्रेश कुमार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव मिश्रा, राज्य प्रतिवादियों की ओर से राज्य के पूर्व अधिकारी श्री राम धन और प्रतिवादी-गांव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय को दलीलें सुनीं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"राजस्व बोर्ड के माननीय सदस्य को निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे 9.11.2020 से उनके समक्ष लंबित पुनरीक्षण संख्या 1730/2020 (दया शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) का यथाशीघ्र निर्णय लें।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत कार्यवाही से संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका 9.11.2020 से राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है। उन्होंने मामले की धीमी कार्यवाही को दर्शाने के लिए लंबित कार्यवाही की आदेश पुरितिका प्रस्तुत की।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1/उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, प्रयागराज को उक्त पुनरीक्षण याचिका पर यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 2 माह की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार निर्णय लेना चाहिए।

11 फरवरी, 2026

सी.प्रकाश

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"